न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 191/2024 तारीख रजू:— 03.09.2024

जीसीएमएस नं. 2024/419

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. नजमुद्दीन खान । पिसरान नसरूद्दीन उर्फ नुस्सा, जाति मुसलमान,
2. बाजुद्दीन निवासी कुतकपुर, तहसील श्रीमहावीरजी, जिला करौली

हाल निवासी गंगापुरसिटी राजस्थान ———————————————वादीगण

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील हिण्डौन, जिला—करौली (राज.) ——————— प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट व दुरूस्ती

उपस्थितः— 1. पी0एल0 गोयल एडवोकेट वादीगण

निर्णय

दिनांक :— 10.11.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि वादी ने दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट व दुरूस्ती विरूद्ध प्रतिवादी पेश कर वाद पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि खाता संख्या नया 209 की आराजी खसरा नम्बर 389 रकवा 01 ऐयर, 390 रकवा 01 ऐयर, 741 रकवा 39 ऐयर, कुल किता 03 कुल रकवा 41 ऐयर, स्थित ग्राम कुतकपुर है।

वाद पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि आराजी मुतजिक्रा मद नम्बर 01 वाद पत्र में वादीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार है, लेकिन उक्त आराजीयात की जमाबंदी में वादी नम्बर 01 का नाम गलत तरीके से राजुद्दीन पुत्र नुस्सा कर दिया है, जबकि वादी नम्बर 01 का सही नाम नजमुद्दीन पुत्र नसरूद्दीन उर्फ नुस्सा है तथा इसी प्रकार राजस्व कर्मचारियों ने वादी नम्बर 02 का नाम गलत तरीके से सानू पुत्र नुस्सा दर्ज कर दिया है, जबकि वादी नम्बर 02 का सही नाम बाजुद्दीन पुत्र नसरूद्दीन उर्फ नुस्सा है तथा नसरुद्दीन उर्फ नुस्सा के राजुद्दीन व सानू नाम के कोई पुत्र नहीं हैं, बल्कि नसरुद्दीन के केवल दो पुत्र नजमुद्दीन व बाजुद्दीन हैं व तीन पुत्रियां शबनम, शहीदा व समां बेगम हैं। इससे स्पष्ट है कि राजस्व कर्मचारियों ने गलती से राजस्व रिकॉर्ड के खाते की जमाबंदी में वादीगण के नाम गलती से दर्ज कर दिया हैं। जिसे दुरुस्त किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

वाद पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि वादी नम्बर 01 व वादी नम्बर 02 का सही नाम नजमुद्दीन खान पुत्र नसरूद्दीन उर्फ नुस्सा तथा बाजुद्दीन पुत्र नसरूद्दीन उर्फ नुस्सा है, जो कि वादी नम्बर 01 व 02 के समस्त सरकारी दस्तावेज जिनमें राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि में उक्त सही नाम अंकित है, इसलिए राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी में उक्तानुसार संशोधन किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है।

वाद पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि राजस्व जमाबंदी में क्रम संख्या 07 पर नाबालिग सानू पुत्र नुस्सा संरक्षिका जयवुन अंकित किया हुआ है, जबकि सानू का सही नाम बाजुद्दीन है तथा उसकी जन्म तारीख 01.01.1990 है, जिसके अनुसार उसकी आयु वर्तमान में करीब 34 साल हो चुकी है। इसलिए उसके नाम के आगे गलत तरीके से दर्ज नाबालिग व जरिये संरक्षिका जयवुन को हजफ किया जाकर वादी के नाम खातेदारी दर्ज किया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्याय संगत है।

वाद पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि वादीगण उपरोक्त आराजीयात के सम्बंध में वादी नम्बर 01 वादी नम्बर 02 का नाम गलत दर्ज किये जाने से वादीगण अपने उपरोक्त खाते पर अपने कृषि कार्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बैंक से केसीसी कार्ड के तहत ऋण प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण वादीगण को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए राजस्व कर्मचारियों की उक्त गलती को दुरुस्त कराया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है तथा उक्त दुरुस्ती हेतु वादीगण ने प्रतिवादी से दिनांक 16.08.2024 को निवेदन किया तो गैरसायल ने उक्त दुरुस्ती करने से इन्कार कर दिया और इस सम्बंध में श्रीमान के यहां चाराजोही करने हेतु कहा, इसलिये वाद पत्र श्रीमान के यहांपेश किया जा रहा है।

वाद पत्र के मद नं. 7 में दर्ज किया है कि दावा हाजा को सुनने व निस्तारण करने का श्रीमान को अधिकार प्राप्त है।

वाद पत्र के मद नं. 8 अ में दर्ज किया है कि दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादी डिक्री किया जाकर वादीगण की आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 01 वाद पत्र के राजस्व खाते की जमाबंदी में क्रम संख्या 03 पर वादी नम्बर 01 का नाम राजुद्दीन पुत्र नुस्सा के स्थान पर नजमुद्दीन खान पुत्र नसरुद्दीन उर्फ नुस्सा तथा जमाबंदी के क्रम संख्या 07 पर सानू पुत्र नुस्सा के स्थान पर बाजुद्दीन पुत्र नसरूद्दीन उर्फ नुस्सा अंकित फरमाया जाकर तथा बाजुद्दीन के नाम के आगे गलत तरीके से दर्ज नाबालिग व जरिये संरक्षिका जयवुन को हजफ किया जाकर वादी नम्बर 02 के नाम खातेदारी दर्ज कर उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

वाद पत्र के मद नं. 8 ब में दर्ज किया है कि अन्य दीगर दादरसी जो नजदीक अदालत मुफीव वादीगण साबित हो, वह भी अता फरमायी जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी बाद तामील उपस्थित आया तथा जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि बिन्दु संख्या 1 रिकॉर्ड की हद तक स्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं02,3,4 में दर्ज किया है कि बिन्दु संख्या 2,3,4 स्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि बिन्दु संख्या 5 अस्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं06,7 में दर्ज किया है कि बिन्दु सं0 6,7 कानूनी है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि बिन्दु सं0 8(अ) स्वीकार है।

विविध तथ्य :—

उनवानी प्रकरण अन्तर्गत धारा 88 आरटी एक्ट गैरसायल की ओर से कार्यालय उपतहसील कटकड का पत्रांक एलआर /224/839 दिनांक 17.12.2024 से जांच रिपोर्ट नायबतहसीलदार कटकड (भू अभिलेख निरीक्षक खेड़ा व पटवारी गुनसार) ने अंकित किया है कि नामान्तकरण संख्या 64 निर्णय दिनांक 14.12.1998 से मृतक नुस्सा पुत्र खन्नू जाति मुसलमान का विरासत नामा0 खाता संख्या 143 किता—26 कुल रकबा 5.99 है0 में हिस्सा 1/8 दर्ज किया गया जिसमें मृतक नुस्सा के वारिसान राजूद्दीन, सानू पि0 नुस्सा, जयबुन वेवा नुस्सा, सानू नाबालिग संरक्षक जयबुन माता हि0 1/8 के पक्ष अंकित हुआ। (नामा0 प्रति संलग्न)

यह है कि नामा0 संख्या 578 निर्णय दिनांक 05.08.24 से पटवारी हल्का द्वारा मृतक जयबुन पत्नी नुस्सा हि0 1/3 जाति मुस्लमान का विरासत नामा0 दर्ज किया गया जिसमें शजरा ग्राम पंचायत गुनसार, आधार कार्ड एवं फर्द मौका अनुसार नजमुद्दीन खान, बाजुद्दीन खान पि0 नसरुद्दीन उर्फ नुस्सा, शहीदा, शबनम व शमा बेगम पुत्रियां नसरूद्दीन उर्फ नुस्सा हि0 बराबर हि0 1/3 अंकित किया गया। पूर्व नामा0 संख्या 64 व 77 में दर्ज नाम राजूदीन व सानू पुत्र नुस्सा यथावत रख दिये गये है।

यह कि सजरा ग्राम पंचायत गुनसार प्रति आधार कार्ड एवं फर्द मौका अनुसार नुस्सा उर्फ नसरूद्दीन के नजमुद्दीन, बाजूद्दीन पुत्र एवं शबनम, शहीदा समा बेगम पुत्रियां वारिसान बतायी गयी है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

अतः जबाव दावा प्रतिवादी मय जॉच रिपोर्ट नायबतहसीलदार कटकड संलग्न कर श्रीमान जी की सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

वकील वादीगण ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 प्रदर्श1, फोटो प्रति स्थानान्तरण पत्र दिनांक 18.05.1995, फोटो प्रति आधार कार्ड सं0 461263223914 नजमुद्दीन खान पुत्र नसरूद्दीन खान निवासी 35 गुलजार कोलोनी पाडा मण्डी, वास बदनपुरा, जयपुर, त्रिपोलिया बाजार, राजस्थान , फोटो प्रति मतदाता पहचान पत्र संख्या IZE/0951541 नजमुदीन पुत्र नसरूदीन निवासी 112, पावर हाउस के पास, गंगापुर नवीन वार्ड नं0 6 तहसील गंगापुर जिला सवाईमाधोपुर, फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड यू.आईडी कमांक 461263223914 नजमुद्दीन खान पुत्र नसरूद्दीन खान निवासी वार्ड नं0 15 गंगापुर सिटी जिला सवाईमाधोपुर, फोटो प्रति पेन कार्ड सं0 BBUP2503F बाजुद्दीन पुत्र नसरूद्दीन, फोटो प्रति आधार कार्ड सं0 485352086931 बाजुद्दीन पुत्र नसरूद्दीन निवासी प्लाट नं0 35 गुलजार कोलोनी देलही रोड के पास, जयपुर बदनपुरा, पोस्ट त्रिपोलिया बाजार, जिला जयपुर राजस्थान, फोटो प्रति ड्राईविंग लाईसेन्स नं0 RJ25 20100056762 जारी दिनांक 28.10.2010, जन्मतिथि 20.05.1988 बाजुद्दीन पुत्र नसरूद्दीन निवासी कीर पाडा गंगापुर सिटी जिला सवाईमाधोपुर, फोटो प्रति मतदाता पहचान पत्र संख्या WUX2186112 बाजुद्दीन पुत्र नसरूद्दीन निवासी प्लाट नं0 35 गुलजार कोलोनी त्रिपोलिया बाजार, जिला जयपुर राजस्थान पेश किये हैं तथा जुवानी सहादत में वादी नजमुद्दीन ने स्वंय का शपथ पत्र पेश कर बयान दर्ज कराये हैं।

वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने दौराने बहस वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया और वादीगण का दावा डिकी किये जाने का निवेदन किया है।

वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 प्रदर्श1 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 389 रकबा 0.01 है0, 390 रकबा 0.01 है0, 741 रकबा 0.39 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.41 है0 वाके ग्राम कुतकपुर तहसील हिण्डौन की खातेदारी नजमुद्धीन खान पुत्र नसरूद्धीन उर्फ नुस्सा हि0 1/15, बाजुद्धीन पुत्र नसरूद्धीन उर्फ नुस्सा हि0 1/15, राजूदीन पुत्र नुस्सा हि0 1/3, शबनम पुत्री नसरूद्धीन उर्फ नुस्सा हि0 1/15, शहिदा पुत्री नसरूद्धीन उर्फ नुस्सा हि0 1/15, समा बेगम पुत्री नसरूद्धीन उर्फ नुस्सा हि0 1/15,नाबालिग सानू पुत्र नुस्सा संरक्षक संरक्षिका जयवुन हिस्सा 1/3 जातियान मुसलमान सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

फोटो प्रति भगवती माध्यमिक विधालय गंगापुर सिटी के द्वारा जारी स्थानान्तरण पत्र दिनांक 18.05.1995, जन्म तिथि 01.07.1977, प्रवेश दिनांक 06.07.1991, कक्षा 09, उर्त्तीण, कक्षा 10 पूरक उर्त्तीण, कक्षा पास करने का दिनांक 26.06.1993, नजमुद्धीन पुत्र नसीरूद्धीन निवासी कीरपाडा गंगापुर सिटी के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति आधार कार्ड सं0 461263223914 नजमुद्दीन खान पुत्र नसरूद्दीन खान निवासी 35 गुलजार कोलोनी पाडा मण्डी, वास बदनपुरा, जयपुर, त्रिपोलिया बाजार, राजस्थान के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति मतदाता पहचान पत्र संख्या IZE/0951541 नजमुदीन पुत्र नसरूदीन निवासी 112, पावर हाउस के पास, गंगापुर नवीन वार्ड नं0 6 तहसील गंगापुर जिला सवाईमाधोपुर के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड यूआईडी कमांक 461263223914 नजमुद्दीन खान पुत्र नसरूद्दीन खान निवासी वार्ड नं0 15 गंगापुर सिटी जिला सवाईमाधोपुर के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति पेन कार्ड सं0 BBUP2503F बाजुद्दीन पुत्र नसरूद्दीन के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति आधार कार्ड सं0 485352086931 बाजुद्दीन पुत्र नसरूद्दीन निवासी प्लाट नं0 35 गुलजार कोलोनी देलही रोड के पास, जयपुर बदनपुरा, पोस्ट त्रिपोलिया बाजार, जिला जयपुर राजस्थान के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति ड्राईविंग लाईसेन्स नं0 RJ25 20100056762 जारी दिनांक 28.10.2010, जन्मतिथि 20.05.1988 बाजुद्दीन पुत्र नसरूद्दीन निवासी कीर पाडा गंगापुर सिटी जिला सवाईमाधोपुर के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति मतदाता पहचान पत्र संख्या WUX2186112 बाजुद्दीन पुत्र नसरूद्दीन निवासी प्लाट नं0 35 गुलजार कोलोनी त्रिपोलिया बाजार, जिला जयपुर राजस्थान के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति पटवारी हल्का गुनसार की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 25.11.2024 में अंकित किया है कि आज दिनांक 25.11.2024 को प्राप्त आवेदन कार्यालय उपतहसील कटकड जिला करौली के कमांक एलआर/2024/752 दिनांक 13.11.2024 की पालना में ग्राम कुतकपुर के मौके पर पहुँचा। मौके पर उपस्थित ग्रामीणों ने बताया कि नसरूद्धीन उर्फ नुस्सा जाति मुसलमान निवासी कुतकपुर फौत हो चुका है। नसरूद्धीन उर्फ नुस्सा के दो

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

पुत्र व तीन पुत्री हैं। पत्नि जयवुन फौत हो चुकी है। नसरूद्दीन उर्फ नुस्सा के नजमुद्दीन खान, बाजुद्दीन खान पुत्रों के नाम हैं, शबनम, शहीदा, समाबेगम पुत्रियों के नाम हैं। इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं है। मौके पर फर्दमौका तैयार कर पढकर सुनाया व उपस्थित ग्रामीणों के हस्ताक्षर करवाए गए। उक्त फर्द मौका पर श्री प्रमोद कुमार मीना पटवारी एवं अन्य ग्रामीणों के हस्ताक्षर निशानी हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 389 रकबा 0.01 है0, 390 रकबा 0.01 है0, 741 रकबा 0.39 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.41 है0 वाके ग्राम कुतकपुर तहसील हिण्डौन की खातेदारी नजमुद्दीन खान पुत्र नसरूद्दीन उर्फ नुस्सा हि0 1/15, बाजुद्दीन पुत्र नसरूद्दीन उर्फ नुस्सा हि0 1/15, राजूदीन पुत्र नुस्सा हि0 1/3, शबनम पुत्री नसरूद्दीन उर्फ नुस्सा हि0 1/15, शहिदा पुत्री नसरूद्दीन उर्फ नुस्सा हि0 1/15, समा बेगम पुत्री नसरूद्दीन उर्फ नुस्सा हि0 1/15, नाबालिग सानू पुत्र नुस्सा संरक्षक संरक्षिका जयवुन हिस्सा 1/3 जातियान मुसलमान सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। जबकि राजूदीन पुत्र नुस्सा एवं सानू पुत्र नुस्सा नाम का कोई व्यक्ति ग्राम कुतकपुर में नहीं है तथा जयवुन पत्नि नसरूद्दीन उर्फ नुस्सा भी फौत हो चुकी है। नसरूद्दीन उर्फ नुस्सा के वारिसान उसके दो पुत्र नजमुद्दीन खान, बाजुद्दीन खान एवं तीन पुत्रियॉ शबनम, शहीदा, समाबेगम हैं। ऐसी स्थिति में उक्त विवादित आराजीयात में दर्ज खातेदार राजूदीन पुत्र नुस्सा एवं सानू पुत्र नुस्सा को हजफ करते हुए नजमुद्दीन खान पुत्र नसरूद्दीन उर्फ नुस्सा हि0 1/5, बाजुद्दीन पुत्र नसरूद्दीन उर्फ नुस्सा हि0 1/5, शबनम पुत्री नसरूद्दीन उर्फ नुस्सा हि0 1/5, शहिदा पुत्री नसरूद्दीन उर्फ नुस्सा हि0 1/5, समा बेगम पुत्री नसरूद्दीन उर्फ नुस्सा हि0 1/5, जातियान मुसलमान सा.देह खातेदार के नाम रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करने के आदेश तहसीलदार हिण्डौन को दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इसी अनुसार वादीगण का दावा बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती डिक्री योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादी बाबत् अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट व दुरूस्ती डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 389 रकबा 0.01 है0, 390 रकबा 0.01 है0, 741 रकबा 0.39 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.41 है0 वाके ग्राम कुतकपुर तहसील हिण्डौन में नजमुद्दीन खान पुत्र नसरूद्दीन उर्फ नुस्सा हि0 1/15, बाजुद्दीन पुत्र नसरूद्दीन उर्फ नुस्सा हि0 1/15, राजूदीन पुत्र नुस्सा हि0 1/3, शबनम पुत्री नसरूद्दीन उर्फ नुस्सा हि0 1/15, शहिदा पुत्री नसरूद्दीन उर्फ नुस्सा हि0 1/15, समा बेगम पुत्री नसरूद्दीन उर्फ नुस्सा हि0 1/15, नाबालिग सानू पुत्र नुस्सा संरक्षक संरक्षिका जयवुन हिस्सा 1/3 जातियान मुसलमान सा. देह खातेदार के स्थान पर नजमुद्दीन खान पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

नसरूद्धीन उर्फ नुस्सा हि0 1/5, बाजुद्धीन पुत्र नसरूद्धीन उर्फ नुस्सा हि0 1/5, शबनम पुत्री नसरूद्धीन उर्फ नुस्सा हि0 1/5, शहिदा पुत्री नसरूद्धीन उर्फ नुस्सा हि0 1/5, समा बेगम पुत्री नसरूद्धीन उर्फ नुस्सा हि0 1/5, जातियान मुसलमान सा.देह खातेदार के नाम रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करने के आदेश तहसीलदार हिण्डौन को दिये जाते है तथा पूर्व के समस्त इन्द्राज हजफ किये जाते हैं। तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। निर्णय व डिक्री की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.11.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 10/11/25
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली